



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23570-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **1506/2026**

गुलशन राम एवं अन्ययाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : जगदीश प्रसाद यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 2.12.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिससे मुकदमा अपराध संख्या 519/2025, धारा 109, 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना-मेहनाजपुर, जनपद-आजमगढ़ उत्पन्न हुआ है, को निरस्त करने की मांग की गई है।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचीगण के विरुद्ध कोई भी आरोपित अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और तर्क दिया है कि याचीगण द्वारा किए गए हमले के कारण रामपति, करीना, करिश्मा और निशा को चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है।
5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एससीसी 779 और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किए गए मामलों तथा माननीय शीर्ष न्यायालय के हालिया निर्णय दाण्डिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नीरज त्यागी एवं अन्य में प्रतिपादित विधि के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचीगण द्वारा किए गए हमले के कारण रामपति, करीना, करिश्मा और निशा को चोटें आई हैं और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को देखते हुए और चोटों एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक विधि तथा इस तथ्य को नोट करते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है।
7. अतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
8. हालांकि, यदि याचीगण विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा और निस्तारण किया जाएगा।
9. इन टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

के.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"